DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । मंगलवार, 28 जून 2022

बढ़ेगी सुरक्षा...

**कैंपेन के तहत इलाके का होगा सुरक्षा ऑडिट, इसके साथ ही होगी सभा जिसमें शामिल होंगे जिले के सीनियर आईपीएस**

# तिलक नगर पहुंचा एनबीटी सुरक्षा कवच, जानेंगे इलाके की दिक्कतें

Maneesh.Aggarwal
@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली :** एनबीटी सुरक्षा कवच 3.0 इस बार आ पहुंचा है वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर थाना इलाके में। जहां 6 अगस्त 1963 को तिलक नगर थाने ने काम करना शुरू किया था। इस इलाके में हिंदू और सिख आबादी अधिक है। इलाके में अमीर-गरीब हर तरह का तबका रहता है। इंडस्ट्रियल एरिया भी इस इलाके में आता है। इस इलाके में रहने वाले लोगों की जिस भी तरह की समस्याएं हैं। इनका निवारण करने के लिए एनबीटी उनके पास आ रहा है। इस पूरे सप्ताह एनबीटी आपको इस इलाके के बारे में जानकारी देगा। जिसमें इलाके में किस तरह का क्राइम अधिक है, इसे रोकने के लिए पुलिस क्या-क्या कदम उठाती है। दुकानदार और इंडस्ट्री वालों की समस्याओं का भी एनबीटी अपने सुरक्षा कवच में निवारण करेगा। सप्ताह के अंत में एनबीटी सुरक्षा सभा का आयोजन किया जाएगा। जिसमें जिले के डीसीपी, सब-डिविजन के एसीपी और थाने के एसएचओ से लेकर पुलिस के तमाम बड़े अफसर सभा में मौजूद होंगे।

## किस तरह का अपराध है

तिलक नगर थाना इलाके में सबसे अधिक कोई अपराध है तो वह है गाड़ियों की चोरी। यह अपराध यहां झपटमारी से भी अधिक है। जबकि दिल्ली के अधिकतर में झपटमारी की वारदातें अन्य अपराधों के मुकाबले अधिक होती हैं। लेकिन यहां एमवी यानी मोटर वीकल थेफ्ट अधिक है। दूसरे नंबर पर झपटमारी की वारदातें हैं। हालांकि, आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पिछले साल के मुकाबले साल 25 जून तक झपटमारी वारदातों में कमी आई है। लेकिन गाड़ियों की चोरियां बढ़ी हैं। इन पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से 25 जून तक इलाके में हत्या की तीन वारदातें हुई। तीनों सुलझा ली गईं। थाना पुलिस इस साल ड्रग्स और सट्टा माफिया पर भी शिकंजा कस रहा है। इसके तहत पिछले साल के मुकाबले इन दोनों मामलों में मुकदमें भी अधिक दर्ज किए गए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी भी अधिक हुई है। इलाके में इस बार एक्सीडेंट की घटनाओं में कुछ बढ़ोतरी हुई है।

Surender Kumar

इलाके में पार्किंग और कुछ पॉइंट्स पर ट्रैफिक जाम की समस्या है

## कितना बड़ा एरिया

तिलक नगर थाना इलाका 6.25 स्कवायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इलाके में करीब चार लाख लोग रहते हैं। जिसमें हिंदू और सिख आबादी लगभग बराबर की है। अन्य धर्मों के लोगों की संख्या कम है। इलाके के पैसिफिक मॉल, तिलक नगर मार्केट और केशोपुर मंडी में बड़ी संख्या में खरीदार आते हैं। तिलक नगर थाना इलाके की यही तीनों जगहें हैं। जहां सबसे अधिक भीड़भाड़ रहती है। थाना इलाके में 472 ऐसे सीनियर सिटिजंस हैं जो अकेले रहते हैं। पुलिस का दावा है कि इनके घर पर हर सप्ताह एक दिन बीट इंचार्ज जाकर इनकी खैरखबर लेता है। इलाके में रेस्टोरेंट, पब और बार की संख्या बहुत अधिक नहीं है। लेकिन यहां की मार्केट अच्छी-खासी है। इलाके में पार्किंग और कुछ पॉइंट्स ट्रैफिक जाम की समस्या है।

## कौन-कौन से इलाके आते हैं

यहां पाँच इलाकों में तिलक नगर मार्केट के पीछे वाला एरिया, मुखर्जी पार्क और गंगाराम वाटिका मुख्य हैं। जबकि विष्णु गार्डन, श्याम नगर झुग्गी, नवयुग ब्लॉक, रवि नगर, चांद नगर, मीरा एनक्लेव पार्क, इंडस्ट्रियल एरिया, मुखर्जी पार्क, हिंद नगर, मुखराम पार्क, मुखराम गार्डन, चौखंडी गांव, गंगा राम वाटिका, चौखंड़ी एक्सटेंशन, तिलक नगर झुग्गी, इंदिरा कॉलोनी, अनमोल वाटिका, विकासपुरी का कुछ इलाका, डीडीए फ्लैट, न्यू और ओल्ड महावीर नगर, गणेश नगर, हरिजन कॉलोनी, सीआरपीएफ कैंप, कृष्णा नगर, रवि नगर और चांद नगर समेत अन्य इलाके इसमें आते हैं।

# लोग परेशान, कब देंगे ध्यान?

## द्वारकाः कचरे में लगाने लगे आग, धुएं ने सांस लेना किया मुश्किल

■ **विशेष संवाददाता, द्वारका**

**द्वारका में** खाली पड़ी डीडीए की जमीन पर कूड़े में आग लगाए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। धुएं की वजह से इस जगह के पास स्थिति अपार्टमेंट के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। न सिर्फ आग बल्कि आग बुझने के बाद उसकी राख भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही है।

एनबीटी सुरक्षा कवच के सदस्यों के अनुसार द्वारका सेक्टर-7 के ब्रह्मा अपार्टमेंट के लोग इस समय काफी अधिक परेशान हैं। यहां रहने वाले सुरक्षा कवच के सदस्य अनुराग बहल ने बताया कि कुछ दिनों से इस तरह की घटनाएं बढ़ गईं हैं। अपार्टमेंट की दीवार के साथ लगते फुटपाथ पर यहां कई अनाधिकृत वेंडर अपनी दुकानें लगाकर बैठे हैं।

**आग बुझने के बाद उसकी राख भी स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही है**

आरोप है कि यह लोग यहां रहते हैं और कई तरह के कूड़ा फेंकते हैं। जब यह कूड़ा बढ़ जाता है तो इसमें आग लगा देते हैं। सोसायटी के लोगों के अनुसार इसकी वजह से कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। सोसायटी की दीवारों के साथ कई गाड़ियां खड़ी होती हैं। वहीं इन दीवारों के पास कई इलेक्ट्रिकल उपकरण भी इंस्टाल है। आग लगने की वजह से लोगों को प्रदूषण की समस्या से भी परेशानी हो रही है।

## लाजपत नगरः खुदाई कर छोड़ दिया काम, बंद हो गया रास्ता

■ **विशेष संवाददाता, लाजपत नगर**

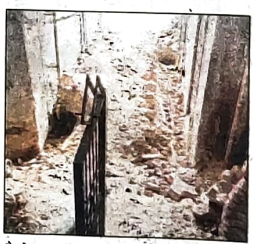

**लाजपत नगर** पार्ट 4 के C-15 से C-17 में रहने वाले लोग करीब एक महीने से परेशान हैं। वजह है आईजीएल की खुदाई। यहां रहने वाले 24 परिवारों का आरोप है कि आईजीएल ने 3 जून को पीएनजी कनेक्शन जोड़ने के लिए खुदाई शुरू की थी, लेकिन काम बीच में ही छोड़कर चले गए। इसके बाद से अभी तक कोई भी कर्मचारी या फिर अधिकारी यहां नहीं आया। इसकी वजह से घरों में जाने वाला मेन रास्ता ही ब्लॉक हो गया है। आरोप है कि इसकी कंप्लेंट भी दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

**लोगों को डर है कि इन गड्ढों को भरा नहीं गया तो बरसात में पानी भर जाएगा**

यहां के रहने वाले विक्रम सिंह ने बताया कि इस रास्ते का लगभग 24 परिवार इस्तेमाल करते हैं। आईजीएल ने कनेक्शन जोड़ने के लिए सीढ़ियों के पास खुदाई की। लेकिन इस काम को पूरा किए बिना ही चले गए। 3 जून से आज तक दोबारा यहां कोई काम करने वाला नहीं आया। इसके कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हैरानी की बात है कि ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं तो मेसेज आ जाता है कि शिकायत पर कार्रवाई की जा चुकी है। असलियत है कि सभी परिवार परेशान हैं।

विक्रम सिंह ने कहा कि आईजीएल या तो कनेक्शन जोड़ दे या फिर खुदाई ही बंद कर दे, ताकि लोग आराम से सीढ़ियां चढ़ सकें। रास्ता ब्लॉक होने से बच्चों से लेकर बुजुर्ग और महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में बरसात शुरू हो जाएगी तो पानी भर जाएगा।

## डीडीए ने यमुना बाढ़ क्षेत्र से हटाया अवैध निर्माण

■ विस, नई दिल्लीः यमुना बाढ़ क्षेत्र से डीडीए ने सोमवार को अतिक्रमण हटाया। इस ड्राइव में सराय काले खां क्षेत्र से करीब 20 से 30 अवैध निर्माण ढहाए गए। अतिक्रमण हटाने की यह ड्राइव आगे भी जारी रहेगी।

एनजीटी के निर्देश पर डीडीए यमुना बाढ़ क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की यह ड्राइव चला रहा है। डीडीए के अधिकारियों के अनुसार यमुना बाढ़ क्षेत्र के एक हिस्से में यह ड्राइव चलाई गई। इस दौरान कुछ झुग्गियां और अन्य अवैध निर्माण को हटाया गया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAP THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI TUESDAY, JUNE 28, 2022 ----------DATED----------

# HC takes note of TOI report, asks for info on RWH status

Abhinav.Garg@timesgroup.com

**New Delhi:** With the monsoon likely to arrive soon, Delhi High Court has begun a review of efforts made to conserve rainwater in the city.

Taking suo motu cognisance on the basis of a **TOI** report, a bench of justices Jasmeet Singh and Dinesh Kumar Sharma demanded details from various civic authorities, the Centre and the Delhi government on efforts made towards rainwater harvesting in the city. "We have come across this article in Times of India dated 18.06.2022 which talks about lack of rainwater harvesting efforts in Delhi. The article seems to be suggesting that monsoon rainwater is not harvested properly within the city of Delhi," the bench stated while initiating a PIL on the issue.

The bench also highlighted that inadequate rainwater management has a direct link with traffic snarls as water often floods key roads making navigation difficult. "We also take notice of the fact that due to the monsoon season and otherwise also, there are huge traffic snarls in Delhi which according to us can easily be controlled and regulated instantly through rainwater management as well as with the assistance of Google Maps. We take suo motu cognisance since it is a matter of public importance," the court noted.

It issued notice to all stakeholders involved in the management of rainwater, including the Delhi government, the Centre's ministry of urban development and ministry of road transport, Delhi Development Authority, Municipal Corporation of Delhi, public works department, flood and irrigation department, Delhi Jal Board, NDMC, Delhi Cantonment Board and Delhi Police.

It gave all the agencies a week's time to file a status report indicating the steps taken by them to store and harvest rainwater. The bench also sought details of steps undertaken "to address and ease traffic jams/snarls in Delhi during monsoons and other periods."

The court then posted the matter for further hearing on July 4 before the chief justice for his consideration. The **TOI** report had highlighted lack of initiative and enforcement by agencies towards ensuring that every housing society and residents store rainwater by installing harvesting units.

**YOU READ IT HERE**

## Why It Is Likely To Be Another Monsoon Of Opportunity Lost

**Rainwater Harvesting Efforts A Cropper Amid Poor Initiative, Enforcement**

**BENCH SAYS**

**The TOI article seems to be suggesting that monsoon rainwater is not harvested properly within the city of Delhi**

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

हिन्दुस्तान
www.livehindus

## काम की खबरें

1

### किराड़ी क्षेत्र में नया बस डिपो बनेगा

डीडीए ने किराड़ी क्षेत्र में नया बस डिपो बनाए जाने के लिए 5 एकड़ जमीन विकास बिहार में परिवहन विभाग को आवंटित कर दी है। बस डिपो का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। इससे यहां रहने वालों को फायदा होगा।

## अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील यमुना के डूब क्षेत्र के एक हिस्से पर सोमवार को अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया और करीब 30 अवैध निर्माण को तोड़ा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओरसे तय किए गए नियमों के आधार पर सराय काले खां के पास कार्रवाई की गई।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि करीब 80 अस्थायी ढांचों में से करीब 30 अवैध निर्माण को तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि शेष निर्माण को बाद में चलाए जाने वाले अभियानों के दौरान तोड़ा जाएगा।

डीडीए अधिकारी ने कहा कि यह एनजीटी के दिशा-निर्देशों और डीडीए की इस प्रतिबद्धता के आधार पर की गई कार्रवाई है कि यमुना के डूब क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए। डीडीए अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के अभियान आगे भी चलाए जाते रहेंगे।

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, JUNE 28, 2022

# DDA bulldozers roll in, demolish shanties near Sarai Kale Khan

Rajesh Mehta

REDUCED TO RUBBLE

TIMES NEWS NETWORK

**New Delhi:** Surrounded by a few plastic crates filled with utensils and with a sewing machine supporting a cooler providing the only shade from the afternoon now, Kamini surveyed what was left of her home even as bulldozers brought by Delhi Development Authority (DDA) demolished the shanties—one by one.

Amid heavy police security, the land development agency carried out the drive in Sarai Kale Khan in south Delhi on Monday. As the bulldozers razed structures that ranged from hutments to tarpaulin-covered shanties with brick walls, many residents protested by shouting slogans; some just silently tried to salvage what was left of their household.

Radheshyam, a resident, clnaimed that his family was living in Gyaspur for around four decades. "How can DDA suddenly arrive with bulldozers and security, and throw us out of our houses? We did not receive any notice from DDA," he said. "With my home gone, where would I take my family now?"

A DDA spokesperson said in the evening that as part of the demolition drive, 20-30 illegal constructions were cleared, and the drive was continuing. "This is in pursuance to the guideline of National Green Tribunal and commitment of DDA that the Yamuna floodplain should be free of encroachments," he said.

Kamini's biggest worry is not the loss of the shelter, but the education of her children. "I don't know how we will manage and where my family will stay, but how would my children study in such a condition?" she rued. "I want my children to complete their studies and live in a proper house. The bulldozers have crushed not only our home, but also our dreams," she said.

"More than 20 shanties were demolished, but nobody was given any notice in advance," said Ashok Pandey, coordinator of Housing and Land Rights Network, a charitable trust. "The residents were not even provided enough time to take out their belongings," he alleged.

# Dusib to conduct survey, identify beneficiaries in slum areas for housing

Atul.Mathur@timesgroup.com

**New Delhi:** To ensure that the city's poor are provided houses of their own, the Delhi Urban Shelter Improvement Board (Dusib) has decided to carry out a survey of people living in slum clusters and identify eligible beneficiaries as per the Delhi Slums and JJ Rehabilitation and Relocation Policy, 2015 or Mukhya Mantri Awas Yojana (MMAY).

The survey, said officials, will only be carried out on land belonging to Dusib. According to officials, there are over 7,000 hectares of encroached land under the agency's jurisdiction where jhuggi jhopri clusters have come up.

Though Dusib had started a survey of 695 identified and 82 unlisted city slums in 2019, it had to be discontinued due to differences with Delhi Development Authority. While DDA later said it would carry out its own survey and allot houses to eligible beneficiaries under the Centre's Pradhan Mantri Awas Yojana, Delhi government has its own scheme in the form of MMAY to provide pucca houses to the poor.

Delhi chief minister Arvind Kejriwal had announced the construction of nearly 90,000 flats in November 2020 for EWS under 'Jahan Jhuggi Wahan Makaan' policy in three phases. The government also has nearly 60,000 built and partially-built vacant flats, but a large number of these will go to the Centre under the Affordable Rental Housing Complex scheme.

Officials said nearly 21 lakh people in Delhi live in slums. To provide pucca houses under MMAY, the government needs a huge inventory and an estimate of how many flats are required. The new survey, they said, will help gather that information.

Dusib CEO K Mahesh said, "We would like to set up libraries for children in Basti Vikas Kendra. About 45% of families are nuclear and parents leave kids behind for work. We will explore options to set up creches."

Mahesh said the survey will include 195 permanent night shelters. Dusib will engage university students for the exercise.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | TUESDAY, 28 JUNE, 2022

# DDA: Anti-encroachment drive in Yamuna flood plain, 20-30 illegal structures removed

OUR CORRESPONDENT

**NEW DELHI:** The DDA on Monday conducted an anti-encroachment drive in a portion of the environmentally-sensitive Yamuna Flood Zone and "20-30 illegal constructions" were removed, officials said.

The drive near Sarai Kale Khan area was carried out by the Delhi Development Authority (DDA) according to the norms outlined by the National Green Tribunal (NGT), they said.

FILE PHOTO

A senior official said, out of about 80 temporary structures, around "20-30 illegal constructions were removed" on Monday.

The remaining would be cleared in subsequent phases of the drive, he added.

"This is in pursuant to guideline of the NGT and commitment of the DDA that Yamuna Flood Plain should be removed from encroachments," the authority said.

Over 100 acres of land falling in the Yamuna Flood Zone had been cleared of encroachment during a series of demolition drives by the DDA during November-December 2015.

DELHI THE HINDU
TUESDAY, JUNE 28, 2022

# Demolition drive on Yamuna floodplains

## DDA removes nearly 30 encroachments

STAFF REPORTER
NEW DELHI

The Delhi Development Authority (DDA) carried out an anti-encroachment drive on a stretch of the Yamuna floodplains in the Sarai Kale Khan area on Monday, a senior official said.

Close to 30 illegal constructions were cleared. Officials said the exercise was carried out in pursuance of the guidelines of the National Green Tribunal.

People had encroached upon DDA land and constructed shanties while also carrying out agricultural work, which is prohibited, said another DDA official.

Out of nearly 80 illegal structures, around 30 constructions were removed on Monday, the official said, adding that the remaining encroachments would be cleared in subsequent phases of the drive.

A senior police officer confirmed that close to 30 shanties were demolished during the drive that was carried out on Monday morning.

"The officials had notified us regarding the same, following which, police assistance was provided," the police officer added.

Between November and December 2015, the DDA had carried out a series of demolition drives in over 100 acres of the Yamuna floodplains, removing several illegal structures in the process.

दैनिक भास्कर

## डीडीए का यमुना रिवर फ्रंट पर बनी झुग्गियों पर बुलडोजर चला

**नई दिल्ली** | दिल्ली के सराय काले खां यमुना रिवर फ्रंट पर बनी झुग्गियों पर सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बड़ा एक्शन किया है। डीडीए के अधिकारियों ने सोमवार को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच यमुना रिवर फ्रंट पर दो दर्जन से अधिक बनी झुग्गियों पर पर बुलडोजर से तोड़-फोड़ की कार्रवाई की है। डीडीए के प्रवक्ता विजय पटेल ने बताया कि एनजीटी की गाइड लाइन पर सराय काले खां यमुना रिवर फ्रंट पर बनी झुग्गियों को हटाने का कार्य किया गया है। बता दें कि यमुना रिवर फ्रंट पर हजारों की तादात में झुग्गियां बनाकर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, एनजीटी के आदेशानुसार सभी झुग्गियों को यहां से मुक्त करना है।

## डीडीए का यमुना रिवर फ्रंट पर बनी झुग्गियों पर बुलडोजर चला

**नई दिल्ली** | दिल्ली के सराय काले खां यमुना रिवर फ्रंट पर बनी झुग्गियों पर सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बड़ा एक्शन किया है। डीडीए के अधिकारियों ने सोमवार को पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच यमुना रिवर फ्रंट पर दो दर्जन से अधिक बनी झुग्गियों पर पर बुलडोजर से तोड़-फोड़ की कार्रवाई की है। डीडीए के प्रवक्ता विजय पटेल ने बताया कि एनजीटी की गाइड लाइन पर सराय काले खां यमुना रिवर फ्रंट पर बनी झुग्गियों को हटाने का कार्य किया गया है। बता दें कि यमुना रिवर फ्रंट पर हजारों की तादात में झुग्गियां बनाकर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, एनजीटी के आदेशानुसार सभी झुग्गियों को यहां से मुक्त करना है।

अमर उजाला

## डीडीए ने यमुना के बाढ़ के मैदान से अतिक्रमण हटाया

**नई दिल्ली।** डीडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। एनजीटी के दिशा निर्देश के तहत सोमवार को सराय काले खां के पास यमुना नदी के बाढ़ के मैदान को अतिक्रमण से मुक्त कराया। यहां करीब 30 अवैध निर्माण हटाए गए। हालांकि अभी भी यहां अतिक्रमण है, जिसे हटाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी ने यमुना नदी के बाढ़ के मैदान को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इस कड़ी में डीडीए की टीम सोमवार सुबह सुरक्षाकर्मियों के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची। इस दौरान डीडीए ने करीब 30 अस्थायी ढांचे हटाए। हालांकि यहां करीब 80 अस्थायी ढांचे थे। ब्यूरो